न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कंसौटिया, (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः– 8 /2023

अपीलार्थीगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
01.मनीषा सिंघल पत्नी शशांक सिंघल, 02प्रियंका सिंघल पत्नि श्री मोहित सिंघल,जातियान अग्रवाल, निवासी 81, प्रथम ए रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर ।		01.गोरधनसिंह पुत्र श्री मंशारामजी, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 02.ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान, जरिये सरपंच । 03..राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1387 जो ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा दिनांक 21.11.2022 को अस्वीकृत किया गया ।

अधिवक्तागणः –

01.अपीलार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
02.रेस्पोडेन्ट संख्या एक की तरफ से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार
03.रेस्पोडेन्ट दो बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित ।
04.रेस्पोडेन्ट संख्या तीन स्वयं उपस्थित।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

निर्णय

दिनांक 19/2/2024

पत्रावली में बहस सुनी गयी । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 1131/497 की कुल रकबा 1.1170 हैक्टेयर यानि रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या एक था जिसके द्वारा दो अलग अलग बेचाननामें के जरिये उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि का बेचान अपीलाण्ट संख्या एक को रकबा 05 बीघा का एंव अपीलाण्ट संख्या दो को रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा का किया गया जो कि उक्त दोनो बेचाननामें दिनांक 06.06.2022 को उपपंजीयक कार्यालय लूणी में पंजीबद्धसुदा हैं । उक्त कृषि भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या दो द्वारा अपीलाण्ट को कर दिये जाने से अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकार उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1131/497 में बेचान करने के वक्त ही समाप्त हो गये थे एवं अपीलाण्ट को उक्त खसरें के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये एवं वक्त खरीद से ही अपीलाण्ट उक्त कृषि भूमि पर बहैसियत खातेदार के मालिक काबिज हुए एवं समस्त प्रकार के कानूनी एवं मालिकाना अधिकार भी अपीलाण्ट को प्राप्त हो गये । उक्त दोनो बेचाननामों के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा अपना नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने के उद्धेश्य से पटवारी हल्का से दिनांक 10.10.2022 को सम्पर्क किया गया एवं पटवारी हल्का को उक्त दोनो बेचाननामों के फोटो प्रतियां दे दी गयी । पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को आश्वस्त किया कि अपीलाण्ट के नाम से नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कायम कर दिये जायेंगे इस पर अपीलाण्ट आश्वस्त हो गये कि राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जावेंगा । दिनांक 27.04.2023 को अपीलाण्ट द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क किया गया कि एवं उसे कहा गया कि यदि अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया हो तो उसे जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति दी जावें जिस पर पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को बताया कि सरपंच द्वारा आपके नाम से दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1387 को अस्वीकृत कर दिया गया हैं इस कारण से जमाबन्दी में उक्त नामान्तरकरण से अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया हैं एवं न ही अब किसी प्रकार से अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावेंगा क्योंकि उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत किया जा चुका हैं ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

नामान्तरकरण संख्या 1387 के अस्वीकृत कर दिये जाने से बेचानसुदा भूमि खसरा संख्या 1131/497 को पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम से दर्ज कर दी गयी हैं जबकि कानूनन रेस्पोडेन्ट संख्या एक उक्त बेचान की गयी कृषि भूमि का खातेदार ही नहीं हैं ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की प्रथम जानकारी में दिनांक 27.04.2023 को आते ही यह अपील उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अन्दर म्याद निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही हैं । ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण जैर अपील मनमाने ढ़ंग से अस्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण जैर अपील की अस्वीकृति हेतु कोई आधार ही नहीं था ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थीगण की खरीदसुदा भूमि भी रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम से उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत करने से पुनः दर्ज कर दी गयी, ग्राम पंचायत ने बिना किसी आधार के नामान्तरकरण जैर अपील अस्वीकार कर दिया। कि ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण जैर अपील अस्वीकार करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की एवं केवल मात्र बेचाननामें में विशिष्ट पड़ौस दर्शाये जाने का नोट अंकन करते हुए अस्वीकृत कर दिया जो कि काबिले खारिज योग्य हैं । विवादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक का कोई कब्जा नहीं हैं बल्कि इस पर अपीलार्थीगण ही बहैसियत मालिक के काबिज हैं । नामान्तरकरण जैर अपील की अस्वीकृति से पूर्व कब्जें के बारें में कोई जॉच नहीं की गई एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज के आधार पर होने से भी अस्वीकृत कर दिया जो कि उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं । नामान्तरकरण जैर अपील की कार्यवाही करने एवं इसे अस्वीकार करने में हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तथा ग्राम पंचायत ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू लैण्ड रेकर्ड रूल्स की नितान्त अवहेलना की हैं इस कारण भी अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर। अपीलाण्ट के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें । अन्य उजरात बरवक्त बहस एवं बाद देखने रेकर्ड माननीय न्यायालय की अनुमति से निवेदन किये जाने का निवेदन करते हुए अंत में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जावें एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1387 जो कि ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा दिनांक 21.11.2022 को निम्न नोट के जरिये अस्वीकृत किया गया हैं :–

प्रस्ताव संख्या –3 के अनुसार खरीददार द्वारा बेचाननामें में विशिष्ट पड़ौस दर्शाये जाने पर उपरोक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत किया जाता हैं ।

उक्त नोट को निरस्त किया जावें तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जावें कि रजिस्टर्ड दस्तावेजों के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1387 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्टगण का नाम दर्ज किया जावें ।

अपील के साथ ही अपीलाण्ट द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया।

उक्त अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक की तरफ से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपना वकालतनामा पेश किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहें एवं रेस्पोडेन्ट संख्या तीन स्वयं उपस्थित।रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा अपना जवाब पेश करते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील एवं धारा 5 म्याद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा भी अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का समर्थन करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया । अपील में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में पेश दस्तावेज अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर ग्राम पंचायत खाराबेरा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण अस्वीकृत किया गया हैं जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या एक जो कि स्वयं बेचानकर्ता हैं वे खुद उक्त बेचाननामों को सही मानते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने हेतु सहमत हैं ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती हैं ।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1387 जो कि ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा दिनांक 21.11.2022 को निम्न नोट के जरिये अस्वीकृत किया गया हैं :–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

Scanned by CamScanner

प्रस्ताव संख्या –3 के अनुसार खरीददार द्वारा बेचाननामें में विशिष्ट पड़ौस दर्शाये जाने पर उपरोक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत किया जाता हैं ।

अतः–ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान के प्रस्ताव संख्या तीन के उक्त नोट के आदेश को निरस्त किया जाता हैं एवं तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते हैं कि नामान्तरकरण संख्या 1387 में वर्णित रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1387 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्टगण का नाम दर्ज किया जावें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(पुखराज कांसोटिया)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

निर्णय आज दिनांक 19/2/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner